ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन की दीदियाँ
बना रहीं है जयपुर की चूड़ियाँ
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन की दीदियाँ
कर रहीं है झाड़ू निर्माण
(पृष्ठ – 03)

लाइवलीहुड क्लस्टर
(जीविकोपार्जन संकुल समूह)
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – अक्टुबर 2021 ।। अंक – 03

सतत् जीविकोपार्जन योजना से बदली बिहार की तस्वीर

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 05 अगस्त 2018 को किया गया। परियोजना द्वारा वैसे परिवार जो पूर्व में ताड़ी या शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और वर्ष 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा के उपरान्त जिनके जीविकोपार्जन तथा आय के श्रोत बन्द हो गए थे के अतिरिक्त वैसे उत्पन्न निर्धन परिवारों का वित्तीय पोषण किया जाता है जो विविध कारणों से समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। योजना के अंतर्गत लक्षित परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गरीबों में गरीब परिवार के सदस्य होते हैं। योजना का कियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जीविका परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना की उपलब्धि मुख्य रूप से इसी से समझी जा सकती है की अनुमानित एक लाख परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक कुल 1,25,261 परिवारों को योजना से जोड़ा जा चुका है। जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से 93,642 परिवारों को जोड़ा गया है। चयनित परिवारों में से 94 हजार परिवारों को क्षमता निर्माण एवं उद्यम विकास हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। 71 हजार परिवारों को साक्षरता, स्वास्थ्य एवं उद्यम तथा 27 हजार परिवारों को पशुपालन विषयक रख–रखाव एवं घरेलु उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया है। जीविका संपोषित ग्राम संगठनों द्वारा लगभग एक लाख चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि भी उपलब्ध कराई गयी है। इस राशि का उपयोग खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, गृह मरम्मति के अतिरिक्त साइकिल, अन्य जरूरी सामग्री एवं सम्पत्ति की खरीद हेतु किया जाता है।

जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर ग्राम संगठनों द्वारा चयनित परिवारों को उत्पादक परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है एवं इन परिवारों को प्रशिक्षित कर सूक्ष्म व्यवसाय, गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन तथा कृषि से सम्बंधित व्यवसाय से जोड़ा गया है। इन गतिविधियों से जुड़ाव के कारण योजना द्वारा चयनित परिवारों ने अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बदलने में सफलता हासिल की है।

इस योजना की सफलता एवं कोविड के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को देखते हुए राज्य सरकार ने परियोजना की अवधि का विस्तार वर्ष 2024 तक कर दिया है। इसके सफल कियान्वयन के लिए सरकार ने तीन साल के लिए 850 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। जिसमें 605 करोड़ की राशि में से जीविकोपार्जन अंतराल राशि के लिए 80 करोड़, जीविकोपार्जन निवेश निधि के लिए 450 करोड़, साझेदारी एवं अभिसरण के लिए 5 करोड़ एव क्षमतावर्धन के लिए 75 करोड़ की राशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। 235 करोड़ की राशि विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से व्यय की जाएगी। वर्ष 2021–22 में 274 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 197 करोड़ एवं शेष राशि जीविका द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य राजकीय योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाएगी।

योजना द्वारा विस्तारित अवधि तक 2 लाख या सभी योग्य लक्षित परिवारों को कार्यक्रम कियान्वयन के अंतर्गत जोड़कर आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों से सम्बद्ध कर लाभान्वित किया जाएगा। योजना की सफलता नए बिहार के निर्माण में सहायक सावित होगी।

सतत् जीविकोपार्जन की दीदियाँ बना रही है जयपुर की चूड़ियाँ

रोहतास जिला के नोखा प्रखंड की पांच पंचायतों क्रमशः सिसिरता, श्रीखिंडा, घोसिया, मौडिहा और छतौना की 25 दीदियों का कलस्टर अप्रोच के तहत चूड़ी निर्माण पर 15 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण करवाया गया। इनमें से 8 दीदियाँ बकरी पालन, 16 दीदियाँ सूक्ष्म व्यवसाय और 1 दीदी खेती कर रही हैं। अब ये सारी दीदियाँ चूड़ी बना रही हैं जो कैमिकल द्वारा निर्मित पेस्ट के माध्यम से किया जाता है और इसकी नक्काशी जयपुर की कला पर आधारित है। विशेष कर शादी–विवाह या अन्य उत्सवों में इसकी माँग बढ़ जाती है।

क्लस्टर अप्रोच का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक दीदी को सतत आय प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। दीदी के चयन के समय यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक दीदी पहले से किसी न किसी व्यवसाय से जुडी हुई हैं। उनकी आय के श्रोत को अन्य विकल्प के माध्यम से बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। क्लस्टर अप्रोच में दीदी को मुख्यतः समावेशी व्यवसाय की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है ताकि दीदी के पास आय प्राप्ति के लिए एक से अधिक विकल्प हों और सतत आय होती रहे। वर्तमान समय में प्रत्येक दीदी की मासिक आय में 250 रुपया से 500 रुपया की अतिरिक्त आय शुरू हो गयी है। अगले 6 माह में इसे 2500 रुपया तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिल्पा की संकल्प शक्ति से बदला समाज

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत लदौरा निवासी शिल्पा कुमारी, जुलाई 2020 से सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत एमआरपी के रूप में कार्य कर रही हैं। शिल्पी कुमारी के प्रयासों के कारण 6 ग्राम संगठनों की 3 दर्जन से अधिक दीदियों के जीवन में परिवर्तन दृष्टीगोचर हो रहा है। योजना से जुड़ने के बाद शिल्पी खुद में भी बदलाव महसूस कर रही हैं। शिल्पा वर्ष 2018 में जीविका से जुड़ीं। जीविका से जुड़ने के पूर्व शिल्पा एक सामान्य गृहिणी थीं। इसी दौरान शिल्पा को सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में जानकारी मिली जहां उनकी योग्यता को देखते हुए उनका चयन योजना के एमआरपी के रूप में किया गया। एमआरपी के रूप में चयनित होने के बाद शिल्पा के कार्य का दायरा बढ़ गया। उन्हें उन लोगों के जीवन को बेहतर करने का अवसर मिला जो हाशिये पर थे। शिल्पा ने अपनी संकल्प–शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 6 ग्राम संगठन की 35 लाभार्थी दीदियों के साथ कार्य करते हुए उनकी बेहतरी के लिए प्रयास आरंभ किया। शिल्पा बताती हैं कि जिन दीदियों के साथ वे कार्य कर रही हैं उनमें 25 दीदियों का एलआईएफ की राशि आ चुकी है और 24 दीदियों का एसआईएफ और 25 दीदियों का एलजीएएफ भी आ चुका है। शिल्पा कहती हैं कि जिन दीदियों के साथ वे कार्य कर रही हैं उनमें 9 दीदी ए श्रेणी, 7 दीदी बी श्रेणी एवं 8 दीदी सी श्रेणी की हैं। सी श्रेणी में उनके आने का कारण कोविड और लॉकडाउन माना जा सकता है। उनका कहना है कि वे लक्षित सभी लाभार्थी दीदियों को ए श्रेणी में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत् हैं। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र की सुदामा एवं किरण दीदी जैसी दीदियों ने सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाया है। उनका यह भी कहना है कि जब से उन्होंने एमआरपी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है तब से स्वयं उनमें बदलाव महसूस होता है। नई–नई जानकारियों से अवगत होने के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है।

सतत् जीविकोपार्जन की दीदियाँ कर रहीं है झाड़ू निर्माण

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के आजीविका संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। रोहतास जिला के रोहतास प्रखंड की पांच पंचायत क्रमशः अकबरपुर, उचिला, बकनौरा, समहौता और नवाडीह की 25 दीदियों को कलस्टर अप्रोच के तहत सींक एवं फूल झाड़ू निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमे से 7 दीदियाँ बकरी पालन, 18 दीदियाँ सूक्ष्म व्यवसाय कर रही हैं। अब ये सारी दीदियाँ अपने पहले के काम को करते हुए झाड़ू भी बना रही हैं।

क्लस्टर अप्रोच का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक दीदी को सतत्त आय प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। दीदी के चयन के समय यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक दीदी पहले से भी किसी न किसी व्यवसाय से जुडी हुई है। उनकी आय के श्रोत को अन्य विकल्प के माध्यम से बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। क्लस्टर अप्रोच में दीदी को मुख्यतः समावेशी व्यवसाय की ओर ले जाना है ताकि दीदी के पास आय प्राप्ति के एक से अधिक विकल्प हों एवं सतत आय होती रहे।

इससे वर्तमान समय में प्रत्येक दीदी की मासिक आय में 250 रुपया से 500 रुपया की अतिरिक्त आय शुरू हो गयी है। अगले 6 माह में इसे 3500 रुपया तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

बांस उत्पाद सामग्री से जीविकोपार्जन

मुंगेर जिला का प्रखंड धरहरा। इसके करैली और सराधी गांव की ज्यादातर परिवारों का मुख्य व्यवसाय सूअर पालन एवं सूप–डलिया का निर्माण करना है। यहाँ के सभी परिवार सूप–डलिया का निर्माण किसी न किसी व्यापारी के सहयोग से किया करते थे। व्यापारियों द्वारा इन सभी परिवार को अग्रिम राशि उपलब्ध कराकर सूप–डलिया, मौनी, कांवर का निर्माण कराया जाता था और व्यापारियों द्वारा उचित दामों में इन्हें बेचा जाता था। इन महिलाओं ने विचार किया कि हमलोग स्वयं सहायता समूह व ग्राम संगठन के माध्यम से इतने पैसों का लेनदेन कर रही है, क्यों न हमलोग खुद से अपने कारोबार को अपने दम पर आगे बढ़ाएं। उन्होंने सूप–डलिया, मौनी, कांवर के साथ–साथ "बांस उत्पाद" सामग्री बनाने का निर्णय लिया।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत विशेष निधि के तौर पर बावन सदस्यों के लिए पांच लाख बीस हजार की राशि तथा जीविकोपार्जन उत्थान हेतु तीन लाख नब्बे हजार की राशि जीविका द्वारा इस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। तदुपरांत बांस उत्पाद सामग्री निर्माण उत्पादन में सम्मिलित कुल बावन दीदीयों के द्वारा कारोबार के क्षेत्र में 1638000 रुपए का किया गया। इस व्यवसाय में दीदियों द्वारा पुरे राशि का 1.8 गुना अबतक उपयोग किया जा चुका है। बांस उत्पाद सामग्री में दीदियों द्वारा कप, ट्रे, ग्लास, सुराही, गुलदस्ता, फूलदानी, टोकरी, डस्टबिन, लेम्प, मोबाइल बाक्स, चिमटा इत्यादि का निर्माण किया जाता है। दीदियों के इस प्रयास से अबतक लगभग सात लाख की आमदनी की गई है, जिसका आधा हिस्सा सदस्यों के मजदूरी के रूप में दिया जा चुका है।

लाइवलीहुड क्लस्टर (जीविकोपार्जन संकुल समूह)

सतत जीविकोपार्जन योजना में लाइवलीहुड क्लस्टर को विकसित करने की पहल आरम्भ की गयी है। इसके अंतर्गत योजना से जुड़े वैसे समरूप परिवारों का चयन किया जाता है जिनका एक ही प्रकार का पारम्परिक व्यवसाय रहा हो अथवा जो एक ही तरह के व्यवसाय करने के इच्छुक हों। किसी भी लाइवलीहुड क्लस्टर में निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है:–

1. सभी परिवार एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बसे हों। जिनके बीच की दूरी १–२ कि.मी. से अधिक न हो।
2. समरूप व्यवसाय में पारम्परिक रूप से संलग्न हों अथवा एक ही तरह के व्यवसाय करने के इच्छुक हों। समरूप व्यवसाय होने के कारण उनकी व्यवसाय बिषयक चुनौतियां भी एक समान होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हल किया जा सकता है।

लाइवलीहुड क्लस्टर की जड़ें हमारी सामाजिक सरंचना में घुला–मिला है। समय के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास होने के बावजूद, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न टोला एवं गाँव पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े होते है। इनमे अधिकतर लोग पारम्परिक रूप से जुड़े हुए ऐसे कारीगर होते है जिनकी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं होता है एवं सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। इनके पास पुरानी पद्धत्ति और पुराने औज़ार होते हैं जिनके कारण इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता वर्तमान बाजार में उतना उपयोगी नहीं रह जाती है। इन्हीं कारणों से बाजार में इनके उत्पाद एवं सेवाओं की मांग घटती चली जाती है और इनका स्थान मशीन से बनी विभिन्न उत्पाद ले लेते हैं। भागलपुर का हैंडलूम इसका एक उदहारण है जो पॉवरलूम के साथ उत्पादकता और गुणवत्ता में टिक नहीं पा रहा है। जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े कारीगर आजीविका चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भागलपुर के हैंडलूम क्लस्टर की तरह पूरे बिहार में अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिनकी प्रासंगिकता में या तो गिरावट आयी है या उसका स्थान मशीन–निर्मित वस्तुओं/सेवाओं ने ले लिया है। इस क्लस्टर का उत्थान लाखों लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करेगा एवं बिहार के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्त्व का होगा। जैसे:– पटना में पीतल, कोसी क्षेत्र में बाँस के उत्पाद, मखाना, जूट इत्यादि।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लाइवलिहुड क्लस्टर का उद्देश्य:–

1. लाइवलीहुड क्लस्टर से जुड़े परिवारों की आय बढ़ाना।
2. लाइवलीहुड क्लस्टर से जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन करना ताकि बाज़ार की मांग के अनुरूप गुणवत्ता वाले उत्पाद बन सके।
3. तकनीक उन्नयन तथा तकनीकी ज्ञानवर्धन ताकि बेहतर उत्पाद बनाया जा सके।
4. व्यक्तिगत उद्यमिता पर अधिक बल देना। व्यक्तिगत उद्यमिता सामूहिक प्रयास का अनिवार्य कारक है। इसीलिए किसी खास क्लस्टर की रणनीति बनाते समय व्यक्तिगत उद्यमिता को प्राथमिकता दी जाती है। ताकि क्लस्टर से जुड़े सभी परिवार आत्मनिर्भर बन सके।
5. लाइवलीहुड क्लस्टर के परिवारों को लोअर वैल्यू चैन से हायर वैल्यू चैन में पहुँचाना, जिससे उनके श्रम का अनुपातिक प्रतिफल उन्हें दिया जा सके।
6. आवश्यकतानुसार उत्पादन और बाजार जुड़ाव का संस्थागत स्वरूप देना (**Institutionalization**)।

लाइवलीहुड क्लस्टर विकास के चरण:–

1. स्कोपिंग स्टडी के माध्यम से संभावित क्लस्टर की पहचान करना।
2. चुने गए क्लस्टर का प्रोफाइल बनाना जिसमें क्लस्टर से जुड़े परिवारों की व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जानकारी रहती है।
3. लाइवलीहुड क्लस्टर में चुने गए उत्पाद का वैल्यू चैन एनालिसिस करना एवं सभी परिवारों की सम्मति से कार्य रणनीति बनाना।
4. आवश्यकता के अनुसार क्लस्टर से जुड़े परिवारों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के माध्यम से क्षमतावर्धन करना।
5. आवश्यकतानुसार तकनीकी जानकारी बढ़ाना एवं आधुनिक तकनीक (मशीन एवं टूल्स) प्रदान करना एवं तकनीकी उन्नयन करना।
6. पारम्परिक वैल्यू चैन से बिचौलिए को हटाना और परिवारों के पारम्परिक उत्पाद पर अधिकाधिक मुनाफा क्लस्टर को दिलवाना।
7. जहाँ उत्पादन का केन्द्रीकरण आवश्यक हो, आवश्यकतानुसार, **CFC** (क्लस्टर फैसिलिटी सेंटर) का निर्माण किया जाना चाहिए। केंद्रीकरण उत्पादन से गुणवत्ता में समरूपता लाना आसान रहता है।
8. व्यक्तिगत से सामूहिकता की ओर – सामूहिक प्रयास के रूप में "उत्पादक संस्थाओं" का निर्माण किया जाना चाहिए।
9. गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्माण एवं बाजार से जुड़ाव। मुख्य–धारा के बाजार से जुड़ाव का लक्ष्य होना चाहिए ताकि उत्पाद का मार्केट टेस्टिंग, प्रमोशन, इन्वेंटरी प्रबंधन एवं कस्टमर फीडबैक सुनियोजित तरीके से किया जा सके।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्री ब्रज किशोर पाठक – विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा, प्रबंधक – गैर कृषि